है।

8.1.25 पत्रावली पेश हुई उभय पक्ष उपस्थित प्रकरण मे उभय पक्ष की बहस सुनी गई, वकील प्रार्थी ने अपनी बहस प्रा.पत्र अनुसार करते हुए निवेदन इस प्रकार से किया है कि दिनांक 5.4.2021 की पेशी के समय कोविड-19 की महामारी के कारण राज्य सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन से न तो प्रार्थीगण की उपस्थिति आवश्यक थी और न ही अधिवक्ता की उपस्थिति आवश्यक थी। किसी प्रकार की अनुपस्थिति पर कोई विपरित प्रभाव वाला आदेश नही दिया जा सकता था। इस लिए आदेश दिनांक 5-4-2021 विधि विरूद्ध है। जिसे किसी भी स्टेज पर निरस्त किया जा सकता है। अत: प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रकरण को पुन: नम्बर पर लेने की स्वीकृति प्रदान करें। इस पर वकील विपक्षी ने अपनी बहस मे इस प्रकार से निवेदन किया है कि प्रार्थी का प्रा.पत्र समय अवधि बहार है, प्रार्थनापत्र को पुन: नम्बर पर लेने का नियम नही है। प्रार्थी को पुन: आदेश 09 नि.13 जा.दी का नया लाना चाहिये, हमारे द्वारा उभय पक्ष की बहस को ध्यान पूर्वक सुनी गई प्र.स. 146/15 व अनवान दुल्ला बनाम कालू अ.धा. 0.9 R.13 CPC का अवलोकन किया गया प्रा.पत्र. 0.9 R. 13 प्रार्थी द्वारा कोई ठोस कारण का अपने प्रा.पत्र मे अंकन नही किया है। केवल हिदायत पैरवी नहीं होने से मामला करते हुए डिक्री किया जाने का अंकन किया है। प्रस्तुत प्रा.पत्र के साथ प्रमाणित निर्णय व डिक्री की नकल सलग्न नही कि गई है। प्रा.पत्र 0.9 R-13 CPC को न्यायालय द्वारा दिनांक 5-4-2021 को अदम हाजरी अदम पैरवी मे खारीज किया गया है। उस वक्त न्यायालय कार्य किया जा रहा था। करोना नही था। न्यायालय मे प्रार्थी व उनके अधिवक्ता के उपस्थित नही होने से खारीज किया गया था। हम अधिवक्ता विपक्षी

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज |
| --- | --- |
| | की बहस से सहमत है कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रा.पत्र आदेश 09 नि. 4, 9 जा.दी का अन्दर अवधि प्रस्तुत नहीं किया है। अत: प्रा.पत्र आदेश 09 नि. 4, 9.जा.दी का खारीज किया जाता है। पत्रावली मैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। |